POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A. Part-1, Paper-2 (Hons.)

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College
Tajpur, Samastipur

कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत

कौटिल्य के अनुसार राज्य के सात अंग होते हैं। कौटिल्य का मानना है कि राज्य के ये सातों अंग सही रूप से कार्य करेंगे तभी राज्य या शासन सुचारू रूप से चल पाएगा। राज्य के सातों अंग इस प्रकार हैं —

1. स्वामी
2. अमात्य
3. जनपद
4. दुर्ग
5. कोष
6. दंड
7. मित्र

यद्यपि प्रत्येक अंग स्वयं में महत्वपूर्ण हैं किन्तु राज्य अथवा प्रशासन के लिए इन सभी अंगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के विकास एवं सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी अंगों के बीच समन्वय हो और सभी उचित रूप से अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करें। शुक्रनीति में भी राज्य को एक जीवित शरीर के रूप में माना गया है उसी प्रकार कौटिल्य ने भी माना है।

Scanned with CamScanner

सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण

कौटिल्य ने राज्य के जिन सात अंगों की चर्चा की है उनका विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है –

1. स्वामी

कौटिल्य के राज्य के सात अंगों में स्वामी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी का अर्थ राजा या राजाध्यक्ष होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने स्वामी अथवा राजा के लिए कई गुणों से युक्त होना आवश्यक बतलाया है। राजा को उच्च कुल में उत्पन्न, धर्म में आस्था रखने वाला, दूरदर्शी, सत्यवादी होना चाहिए। राजा में विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, प्रजा के पोषण एवं रक्षण की क्षमता, शत्रु एवं मित्र का ज्ञान आदि भी होना चाहिए। अपने प्रशासनिक कार्य निश्चित करने की शक्ति के साथ-साथ, उसे आत्मसंयमी भी होना चाहिए।

कौटिल्य के द्वारा वर्णित राजा के उपरोक्त वर्णित गुणों में नैतिक गुणों का विशेष महत्व है। उनके अनुसार कुछ गुण तो स्वभाविक होते हैं किन्तु कुछ गुणों को अभ्यास से प्राप्त एवं विकसित किया जा सकता है। इसी कारण से आचार्य कौटिल्य ने प्लेटो की भांति शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है।

Dr. Husna Ara
Asst. Professor

Scanned with CamScanner